न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 11/21 सन् 2021

RCMS NO-2021/ 170

बउनवानीः—1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 पोखर जाति रेगर निवासी ऐकडा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
2. अनोखी वर्मा पत्नि स्व0 शंकर जाति रेगर निवासी ऐकडा
3. कमलेश पुत्र स्व0 शंकर जाति रेगर निवासी ऐकडा
4. रीनू पुत्री स्व0 शंकर जाति रेगर निवासी ऐकडा तह0 चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 561 निर्णय दिनांक 30.05.1983 वाके ग्राम ऐकडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री रविशंकर सैनी — वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफिक मोहम्मद — वकील पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 11.7.2023

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 561 निर्णय दिनांक 30.05.1983 वाके ग्राम ऐकडा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा विवादित नामा0 संख्या 561 वाके ग्राम ऐकडा खातेदार पोखर पुत्र बिण्या जाति रेगर निवासी ऐकडा की मृत्यु हो जाने पर केम्प आदलवाडा मे उसके विधिक वारिसान शंकर, रामनारायण पुत्रान पोखर रेगर के नाम से तस्दीक किया गया है जबकि मृतक पोखर के रामनारायण नाम का कोई पुत्र नही है अर्थात मुझ अपीलान्ट का नाम उक्त नामा0 में रामनारायण अंकित कर दिया इसलिए उक्त नामा0 रामनारायण के स्थान अशोक कुमार दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा अपना नाम अशोक कुमार होने की पुष्टि के लिए परिचय पत्र,आधार कार्ड, मार्कसीट, राशन कार्ड नया व पुराना इत्यादि पेश करते हुए जानकारी प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:34 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम अशोक कुमार है इसलिए आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम रामनारायण होने के कारण आदेश जैर अपील नामा0 561 विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅुचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा परिचय पत्र,आधार कार्ड, मार्कसीट, राशन कार्ड नया व पुराना इत्यादि एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम अशोक कुमार होना प्रतीत होता है। अपीलान्ट के पिता पोखर पुत्र बिण्या की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामा0 अपीलान्ट अशोक कुमार एवं शंकर के नाम से दर्ज फैसल किया जाना चाहिए था किन्तु उक्त आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 561 में अशोक कुमार के स्थान पर रामनारायण अंकित कर दिये जाने के कारण आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक पोखर रेगर निवासी ऐकडा तहसील चौथ का बरवाडा के विधिक वारिसान के नाम की सही पुष्टि करते हुए पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:34 IST
Reason: SelfAttested